ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292RNI
REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 198-200**
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-III, Issues-33, YEAR-July-Sept. 2024

भारत में निगमनात्मक शासन

डॉ0 मुन्नु कुमार
एम0 ए0, पी–एच0डी0 (लोक प्रशासन), मगध विश्वविद्यालय, बोधगया (बिहार) भारत

Received-17.09.2024, Revised-24.09.2024, Accepted-30.09.2024 **E-mail : akbar786ali888@gmail.com**

सारांशः वर्तमान समय में लोक प्रशासन को शासन की जटिल प्रक्रिया को साधने का काम सौंपा गया है, जिसके अनुसार संगठनात्मक एवं सैद्धांतिक रूप से नागरिक संगठनों की भूमिका को पुनः तलाशना है। पहले कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बाजार ताकतों के प्रभाव के कारण निगमित रूप से प्रभावित थी। नौकरशाही, पदसोपन क्रम, नियम और नियमन पर अत्यधिक निर्भर लोक प्रशासन को चुनौती दी गई। कल्याणकारी और विकासात्मक गतिविधियों में राज्य लंबे समय तक अकेला कर्त्ता नहीं रहा। इसकी बजाय निगमित राज्य उन सभी गतिविधियों में शामिल हो गया जो अब तक गैर–सरकारी क्षेत्र के दयरे में थे। एनरोन की विफलता ने उद्योगों की शासन प्रणाली की सक्षमता परदर्शिता और उत्तरदायित्व पर गंभीर सवाल उठाए। इस घटना से यह रहस्योद्घाटन हुआ कि अमेरिका की बड़ी कंपनियों में गंभीर धांधलियों और हेरा–फेरी की व्यापक संभावनाएं हैं। इससे निगमनात्मक शासन का एक नया आयाम सामने आया।

कुंजीभूत शब्द– निगमनात्मक शासन, लोक प्रशासन, सैद्धांतिक, नागरिक संगठन, नौकरशाही, कल्याणकारी और विकासात्मक

निगमनात्मक शासन का अस्तित्व 1980 के दशक के उत्तरार्ध में सामने आया था। इसका उद्देश्य उद्योगों को उत्तरदायित्व की भावना के साथ बढ़ावा देना था। हाल तक निगमनात्मक शासन की अवधारणा का प्रयोग मुख्य तौर पर तकनीकी पहलुओं के लिए किया जाता था यथा कि कैसे संगठनों को स्थापित किया गया तथा उन्होंने अपने प्रबंध परिषदों व संबंधित समितियों का प्रबंधन कैसे किया? लेकिन अब बढ़ती जन जागरूकता व जन भागीदारी के परिणामस्वरूप निगमनात्मक शासन के अर्थ का विस्तार उन तोर–तरीकों तक हो गया है जिसके माध्यम से संगठन निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में अपने शेयरधारकों व पणधारियों के हितों पर विचार–विमर्श करता है।[1]

निगमनात्मक शासन का अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा कंपनियों का निर्देशन और नियंत्रण किया जाता है। निगमनात्मक शासन तंत्र में वे सभी उपक्रम, तंत्रीय प्रक्रिया शामिल हैं जो सभी शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह किसी उद्यम के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक हैं। इसका संबंध कार्यकारी निर्णयों एवं क्रियाओं के निरीक्षण की प्रक्रिया, उत्तरदायित्व एवं उस नियमन ढांचे से है जिसका अंतर्गत संगठन कार्य करते हैं। निगमनात्मक शासन का आंतरिक तंत्र शेयरधारकों, निदेशक मंडलों, प्रबंधकों तथा विभिन्न हिस्सेदारों से मिलकर बनता है, जबकि इसके बाह्य तंत्र में प्रभावी व्यवस्था, वित्तीय संस्था तथा दूसरे अन्य प्रतियोगी शामिल हैं। निमनात्मक शासन की अवधारणा काफी व्यापक है जो आंतरिक संगठन, सत्ता–संरचना से संबंधित विभिन्न मुद्दों सहित उद्यम के विभिन्न हिस्सेदारों के बीच के आपसी संबंधों को भी परिभाषित व निर्धारित करता है।[2]

निगमनात्मक शासन से तात्पर्य निगमनात्मक अनुशासन से है। यह केवल संतुलन बनाने की प्रक्रिया नहीं है। इसका उद्देश्य ऐसा संगठन बनाना है जो उपभोक्ताओं और संबद्ध पक्षों में संतोष की भावना पैदा कर सके। यह प्रक्रिया सभी पक्षों में प्रभावी उत्तरदायित्व के लिए है। यह ऐसा संगठनात्मक प्रारूप तैयार करता है जिससे स्वस्थ और प्रतिस्पर्धी कंपनी तैयार होती है। यह कंपनी दायित्व, नवप्रवर्तन और पारदर्शिता के बल पर चलती है। मानक रूप से यह बाह्य व आंतरिक सभी शेयरधारकों के लिए एक निगमनात्मक आचार संहिता नियत करता है।[3]

निगमनात्मक शासन के दो मूल अंग हैं– निष्पादन एवं जवाबदेही गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों दृष्टिकोण से उद्यम का निष्पादन आवश्यक हो जाता है क्योंकि विभिन्न हिस्सेदार उद्यम में अपने निवेश का संवर्द्धित मूल्य चाहते हैं। इसी प्रकार जवाबदेही, उद्यम की गतिविधियों में पारदर्शिता, समुचित आंतरिक नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण की मांग करते हैं। सु–शासन जहां एक ओर प्रबंधन व्यवस्था में पारदर्शिता व जवाबदेही के सिद्धांतों को तय करता है, वहीं बाजार में उद्यम की विश्वसनीयता में भी वृद्धि करता है। निगमनात्मक शासन तंत्र निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही व उत्तरदायित्व जैसे कुछ मुख्य सिद्धांतों पर आधारित होता है। ये सिद्धांत ही मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। कैडबरी समिति की निगमनात्मक शासन की अवधारणा के अनुसार "यह वह प्रणाली है जिससे कंपनियों को निर्देशित एवं नियंत्रित किया जाता है। इसमें कंपनी के शासन के केंद्र में निदेशक मंडल का स्थान होता है। इसका अर्थ सभी संबद्ध पक्षों में विश्वास और नैतिक मूल्यों के प्रति भरोसा पैदा करना, व्यवसाय की संचालन सक्षमता को सुधारना, शेयरधारकों के हितों/अधिकारों की रक्षा करना, वित्तीय तथा अन्य ऋण देने वाले संस्थानों को संरक्षण प्रदान करना, निदेशक मंडलों को मजबूत करना, निदेशक मंडल को स्वायत्तता एवं जवाबदेही प्रदान करना, तथा कंपनी के लिए परिसंपत्ति और अर्थ सृजित करना है।[4] दूसरों शब्दों में, यह उस व्यवस्था एवं प्रक्रियाओं पर बल देता है जिसके द्वारा पणधारियों के हितों की रक्षा हो सके।

अमेरिका व ब्रिटेन में कंपनियों की विफलता की वजह से निगमनात्मक शासन का जन्म हुआ। अक्षमता, धोखाधड़ी व कुप्रबंधन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले प्रत्येक संकट या बड़ी कॉरपोरेट विफलता को निगमनात्मक शासन की एक संशोधित व्यवस्था के नए तत्त्वों के माध्यम से संतुलित करने का प्रयास किया जाता रहा है। निगमनात्मक शासन की उत्पत्ति ब्रिटेन में, सर एडरैन कैडबरी ने नेतृत्व में गठित निगमनात्मक शासन पर वित्तीय पहलुओं की समिति में हुई। इस समिति का गठन लंदन स्टॉक एक्सचेंज की वित्तीय रिपोर्ट परिषद द्वारा 1992 में किया गया। यह पहली समिति थी जिसने

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292RNI
REG. NO. UPBIL/2014/66218
I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-III, Issues-33, YEAR-July-Sept. 2024

निगमनात्मक शासन संहिता के प्रारूप को तैयार किया। कंपनियों के संचालन की जिम्मेदारी निदेशक–मंडल की है। शासन में शेयरधारकों की भूमिका निदेशकों व लेखा परीक्षकों की नियुक्ति तथा स्वयं को इस बात के लिए संतुष्ट करने में होती है कि एक समुचित शासन तंत्र स्थापित है।[5]

इस समिति के पश्चात् विश्व स्तर पर निगमनात्मक शासन के संबंध में कई समितियों का गठन किया गया। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं : हैमपेल समिति 1998, 1995 की ग्रीनबरी रिपोर्ट, 1994 में दक्षिण अफ्रीका में किंग समिति, फ्रांस में द्वितीय विअनौट रिपोर्ट 1999, अमेरिका में 1998 में गठित ब्लू रिबन समिति, 1998 में ही ओईसीडी (Organisation for Economic Coperation and Development) ने भी निगमनात्मक शासन की बात कही। भारत में भी इसके प्रयास किए गए। इन सभी समितियों में इसी बात पर बल दिया कि कंपनियों के संचालन व नियंत्रण के लिए एक आचार संहिता बनाई जाए और निगमनात्मक शासन में भी पारदर्शिता एवं जवाबदेही जैसे सिद्धांतों को लागू किया जाए।

भारत में निगमनात्मक शासन– भारत में निगमनात्मक शासन की शुरूआत 1991 के पश्चात् संरचनात्मक समायोजन तथा स्थिरीकरण कार्यक्रम के साथ हुई। निजीकरण के प्रयासों के आलोक में कुछ निजी उद्यमों का कुप्रबंधन तथा छोटे निवेशकों के हितों के प्रति उनकी बेरूखी तथा गैर–जवाबदेही ने इस बात के लिए प्रेरित किया कि एक सुस्पष्ट निगमनात्मक शासन तंत्र का गठन किया जाए। निगमनात्मक शासन के प्रति बढ़ती रूचि मुख्यतः चार कारणों में है :

1. शेयरधारकों के अधिकारों का दावा,
2. विदेशी संस्थागत निवेशकों की बड़ी उपस्थिति जो भारतीय उद्यमों के प्रबंधन में उच्चतर व्यावसायिकता की मांग कर रहे हैं।
3. ऋणदाता संस्थानों में आ रही जागरूकता, जो कि अब ऋण देने के लिए कड़े मानदंडों को आधार बना रहे हैं, खासकर आय पहचान तथा गैर–उत्पादनकारी ऋणों के संबंध में वे सतर्क हैं और इसलिए वे लक्ष्य व उत्पादनशील निगमनात्मक शासन को अधिक महत्त्व दे रहे हैं, तथा
4. विश्व अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था कदम से कदम मिलाकर चल रही है। जिसके परिणामस्वरूप भारतीय उद्योग पर इस बात का प्रभावी दबाव है कि वे अपने पुराने ढर्रे को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपने आपको ढाले।[6]

वर्ष 1997 में भारतीय उद्योग परिसंघ ने ऐच्छिक निगमनात्मक शासन आचार संहिता जारी की। निगमनात्मक शासन के क्षेत्र में यह अपने तरह का पहला प्रयास था। सी.आई.आई ने भारत में पहली बार भारतीय कंपनियों के लिए ऐच्छिक मानक तय किए। इस संहिता में सुझावों संहित प्रावधान रखे गए। इनमें निदेशक मंडल का प्रदर्शन सुधारने, गैर कार्यकारी निदेशकों को व्यापक भूमिका देने और एक ऐ़ेी लेखा जाँच समिति का गठन करने का प्रस्ताव किया गया जिसकी भूमिका सभी वित्तीय सूचनाओं तक हो।

वर्ष 1998–99 में भारती प्रतिभूमि एवं विनियम बोर्ड ने उद्योगपति कुमार मंगलम बिड़ला की अध्यक्षता मे एक समिति का गठन किया जिसे निगमनात्मक शासन की आचार संहिता पर सलाह देनी थी। इसकी रिपोर्ट वर्ष 2000 में अनुमोदित कर दी गई और फिलहाल सभी सूचीबद्ध कंपनियों से यह आशा की जाती है कि इसे वे अपने कामकाज में लागू करें। रिपोर्ट में कार्यकारी और निगरानी कार्यों को अलग–अलग रखने को कहा गया। इसमें निगमनात्मक शासन के उद्धेश्य भी गिनाए गए। दीर्घकालीन शेयरधारकों को जोड़ने और अन्य पणधारकों के हितों की रक्षा के लिए भी कहा गया।

इसके बाद दो अन्य समितियों, नरेश चंद्रा समिति और नारायणमूर्ति समिति का भी गठन किया गया। इन समितियों ने कुमारमंगलम बिड़ला समिति के काम को ही आगे बढ़ाया। इन समितियों को उद्धेश्य भारत में निगमनात्मक शासन को व्यापक रूप से लागू करना और इसकी बेहतर संभावनाएं तलाशना था।

पिछले दस वर्षों में निगमनात्मक शासन देश में भली–भांति फूला–फला है। इसे स्पष्ट रूप से न्यूयार्क स्टाक एक्सचेंज की इस टिप्पणी में देखी जा सकता है जिसमें एक भारतीय कंपनी इंफोसिस टेक्नोलोजिज द्वारा अपनी अपनी समस्त सूचनाओं को शेयरधारकों तक पहुंचाने के प्रयासों को आदर्श बताया गया है।[7]

राजनीतिक और सार्वजनिक तौर पर निगमनात्मक शासन अपनाने पर बल दिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह और भी आवश्यक है, जहां पूंजी के मुक्त प्रवाह को वास्तविक रूप में लाना है। यह तभी संभव है जब बेहतर निगमनात्मक शासन के मूल तत्त्वों की सहमति हो।

शासन का अंतिम लक्ष्य ऐसी संस्था निर्मित करना होना चाहिए जो स्व संचालित, स्व आकलित और स्व नियंत्रित हो। यह वह सिद्धांत है जिसे पूरी दुनिया में निगमनात्मक शासन में स्वीकार किया जाता है। भारतीय कंपनियों को भी इसे राजनीतिक तौर पर और क्रियान्वयन स्तर पर स्वीकार करना होगा।

इस प्रकार हम देखते हैं कि निगमनात्मक शासन वर्तमान समय में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता बन गया है। इसकी सफलता प्रभावी क्रियान्वयन और समाज, मीडिया, निजी क्षेत्र और सरकार के स्वैच्छिक प्रयासों तथा उचित नियमन पर निर्भर करती है। इसमें लगातार सूचनाओं का आदान–प्रदान करने की आवश्यकता है। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के बीच उचित शासन तंत्र स्थापित करने की जरूरत है और यह केवल सरकार द्वारा किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में निगमनात्मक शासन का विशिष्ट ढांचा हम विकसित नहीं कर पाए हैं। एक उचित मॉडल विकसित करने की आवश्यकता है, जो शासन के कामकाज को प्रबंधन के कार्य से निश्चित दूरी पर रखे, व्यावसायिकता सुनिश्चत करे, शेयरधारकों को महत्त्व दे और निजी

ASVP PIF-9.776 /ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-18, No.-III, Issues-33, YEAR-July-Sept. 2024

और सार्वजनिक क्षेत्र में स्वस्थ उद्यमशीलता विकसित करे। भारत में इस दिशा में कुछ प्रगति हुई हैं लेकिन इन उद्धेश्यों को प्राप्त करने के लिए तुरंत और अधिक प्रयास करने की जरूरत है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Edmards, Meredith, "Public Sector Governance – Future Issues for Australia," Australian journal of Public Administration, Vol. 61, No. 2, June 2002, p. 52.
2. Medury, Uma, "Corporate Governance Framework : Issues and Challenges," in Alka Dhameja (ed.), Contemporary Debates in public Administration. Prentice Hall of India : New Delhi, 2002, p. 231.
3. Rangarajan C, "Corporate Governance : the New Paradigm, Chartered Secretary, October, 1997."
4. Raju, R. Satya, Principles and Practices of Corporate Governance, Alka Dhameja (ed.), op. cit., p. 222
5. Kumar, Basant, et. al., "None-Executive Directors in Indian Corporate Governance." in Dharni P. Sinha (ed.) Sauth Asian Management Challenges in the New Millennium. A MIDSA : Hyderabad, 2002. P. 183.
6. Saha, Chunibhai R., "Corporat Governance : Critical Issues," Chartered Secretary. Vol. 27, No. 5, May 1997. P. 497.
7. Medury, Uma, in Alka Dhameja (ed.) op. cit., p. 243.

*****